हडको

मुम्बई मंथन

सितम्बर 2021

हडको क्षेत्रीय कार्यालय

मुम्बई

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय

जागरूकता सतर्कता सप्ताह चित्रकलाप्रतियोगिता

दिनांक 02.11.2020 - वैश्विक महामारी में सतर्क भारत

संस्कृति शशिकांत फावड़े

कुमारी अस्मी श्रीनिवास दवटे

कुमारी शिल्पा सिंह

कुमारी नियंती शशिकांत फावड़े

कुमारी दिया मेरी जोसफ

श्री सचिन दरबान

कुमारी दिव्या रायकुवर

हडको

मुम्बई मंथन

सहयोग एवं योगदान : समस्त परिवारगण हडको मुंबई क्षेत्रिय कार्यालय

मुंबई मंथन

हिन्दी मासिक - सितम्बर २०२१

अनुक्रमणिका

1. संदेश - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 03
2. संदेश - निदेशक (कार्पोरेट प्लानिंग) 04
3. संदेश - निदेशक (वित्त) 05
4. संदेश - महा प्रबंधक (राजभाषा)........ 06
5. मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय का हडको की प्रगति में योगदान 07-08
6. नागपुर - मुंबई समृद्धि महामार्ग 09-10
7. प्रधानमंत्री आवास योजना 11-12
8. बेटी 13
9. वारली चित्रकला 14
10.आपको निवेश क्यों करना चाहिए 15-16
11.मेरे कार्यालय की सुनहरी यादें 17-18
12.सवेरा 19-20
13.सूचना का अधिकार 21-23
14.पाक-कला 24
15.रायगढ़ किलेकी सैर 25
16.जिन्दगी खूबसूरत है 26
17.मंडला चित्रकला 27
18.सायबर सुरक्षा 28-31
19.कोरोना महामारी से मेरी जंग 32
20.सेवाकाल का सुखद अनुभव 33
21.दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड 34-35
22.मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के विभिन्न कार्यक्रम 36-37
23.प्राकृतिक आपदा 38
24.पेड़, पौधे और जीवन 39-40

संपादकीय मंडळ

वी. टी. सुब्रमणियन	चंद्रकांत कानडे	शिव सिंह	चित्रा भोईटे
मुख्य संपादक	संपादक	सह संपादक	समन्वयक

संपादक की कलम से

"मुंबई मंथन" गृह पत्रिका का यह अंक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के सभी सहयोगियों के प्रयासों से हडको, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दिशा में अपनी गृह पत्रिका "मुंबई मंथन" का इस वैश्विक महामारी के दौर में ई-पत्रिका के रूप प्रकाशन किया जा रहा है। जिसमें पूरे वर्ष की विभिन्न गतिविधियों, उपलब्धियों एवं लेख, कहानी, कविताओं को समेकित कर गृह पत्रिका "मुंबई मंथन" के रूप में प्रस्तुत करते हुए हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। क्षेत्रीय कार्यालय परिवार के सभी सदस्यों तथा उन सभी को जिन्होंने इस पत्रिका में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। इस अंक में कार्यालय के सदस्यों के अलावा उनके परिवार के बच्चों द्वारा भी काफी योगदान दिया गया है, जो कि बधाई के पात्र हैं। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि "मुंबई मंथन" के प्रस्तुत अंक का विमोचन हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा हिन्दी दिवस दिनांक १४ सितंबर के अवसर पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। आशा करते हैं कि "मुंबई मंथन" का यह अंक पाठकों को रूचिकर तथा प्रेरणादायक प्रतीत होगा। "मुंबई मंथन" के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

मंगल कामनाओं सहित।

वीटीस

वी. टी. सुब्रमणियन
क्षेत्रीय प्रमुख एवं संपादक

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में हिन्दी गृह पत्रिका "मुंबई मंथन" का प्रकाशन किया जाना एक सराहनीय प्रयास है। गृह पत्रिका के नियमित प्रकाशन के माध्यम से हडको कार्मिकों को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को निखारने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है।

मैं आशा करता हूँ कि हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय इसी प्रकार संवैधानिक दायित्वों के प्रति सजग रहते हुए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करता रहेगा। हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन की हार्दिक शुभकामनाएं।

Kamran

कामरान रिजवी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संदेश

यह अत्यंत गर्व की बात है कि हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय राजभाषा हिन्दी गृह पत्रिका "मुंबई मंथन" का प्रकाशन करने जा रहा है। भाषा संप्रेषण का ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हुए एक दूसरे को समझ पाते हैं। गृह पत्रिका के नियमित प्रकाशन के माध्यम से हडको कार्मिकों को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को निखारने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है।

मैं आशा करता हूँ कि हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय इसी प्रकार संवैधानिक दायित्वों के प्रति सजग रहते हुए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करता रहेगा। हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन की हार्दिक शुभकामनाएं।

(एम. नागराज)
निदेशक (निगमित योजनाएं)

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय राजभाषा हिन्दी गृह पत्रिका "मुंबई मंथन" का प्रकाशन करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। आशा करता हूँ कि पत्रिका में हडको एवं क्षेत्रीय कार्यालय की योजनाओं एवं परियोजनाओं संबंधी तथ्यात्मक जानकारियों एवं रिपोर्टों के साथ-साथ रोचक विषयों की सामग्री पत्रिका को संवारने का कार्य करेंगी।

मैं इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय एवं संपादक मंडल को अपनी ओर से पत्रिका के सफल प्रकाशन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

डी. गुहन
निदेशक (वित्त)

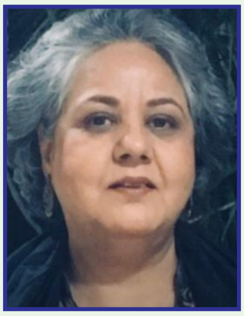

संदेश

यह गर्व का विषय है कि हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय राजभाषा के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से हिन्दी गृह पत्रिका "मुंबई मंथन" का प्रकाशन कर रहा है। यह राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति में एक सराहनीय प्रयास है तथा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरणास्पद है। मैं आशा करती हूँ कि क्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारी-कर्मचारी इसी तरह राजभाषा हिन्दी के प्रति अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपनी रचनात्मक प्रतिभा को बखूबी प्रदर्शित करते रहेंगे।

मैं इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के सभी कार्मिकों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।

उपिन्दर कौर

महा प्रबंधक (राजभाषा)

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय का हडको की प्रगति में योगदान

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना 1986-87 में हुई थी। क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई की स्थापना तत्कालीन क्षेत्रीय प्रमुख श्री एम. बी. माथुर के नेतृत्व में हुई। हडको की प्रगति में मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय की हमेशा अहम भूमिका रही है।

वर्तमान दशक के दौरान महाराष्ट्र राज्य में विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने अब तक रू. 14,568.14 करोड़ का योगदान दिया है। जिसमें रू. 1892.84 की अवमुक्ति हुई है। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है:-

(रू. करोड़ में)

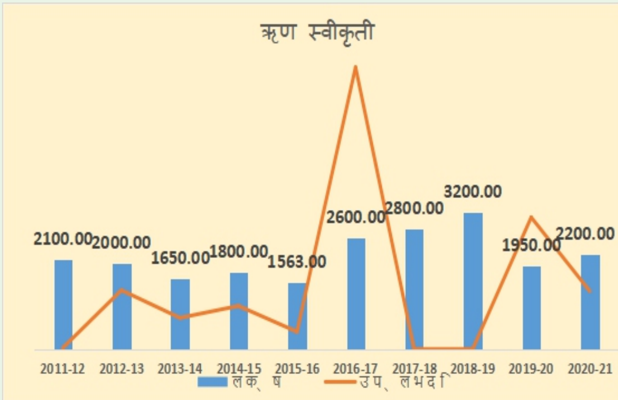

पिछले 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई मुख्य योजनाएं : **(रू. करोड़ में)**

योजना का नाम	ऋण स्वीकृत
मिहान नागपुर में एस.ई.जेड. का विकास	250.00
नाशिक में जे.एन.एन.यू.आर.एम., बी.एस.यू.पी. हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए गैप फन्डिंग	90.00
कोराडी, नागपुर में सिवरेज वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिए रि-सायिकलिंग एण्ड रि-यूज ऑफ वाटर योजना	215.00
भिवंडी में अन्डरग्राउन्ड सिवरेज के लिए गैप फन्डिंग योजना	89.67
कोल्हापुर में वाटर सप्लाई स्कीम	60.00
वाकोला, मुलुण्ड, मरोल एण्ड घाटकोपर में पोलीस क्वार्टर कन्सट्रक्शन स्कीम	425.00
पुणे के लिए 24X7 वाटर सप्लाई स्कीम	2265.00
महाराष्ट्र स्टेट के लिए रोड कनेक्टिविटी स्कीम	1600.00
नान्देड़ में जे.एन.एन.यू.आर.एम., बी.एस.यू.पी. एण्ड नगरोत्थान के लिए टेक-आउट फाइनेन्स एण्ड गैप फन्डिंग स्कीम	150.00
एम.एस.आर.डी.सी. की महाराष्ट्र में बहुत सारी परियोजनाओं के लिए लैण्ड एक्वीजिशन, री-सेटेलमेन्ट एण्ड रिहैबिलिटेशन कम्पोनेन्ट के लिए योजना	1768.00
नागपुर-मुंबई सुपर कम्यूनिकेशन एक्सप्रेसवे के लिए कन्शोर्शियम फन्डिंग योजना	2550.00
महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि.	1356.00

श्री अशोक चव्हाण, माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर, महाराष्ट्र सरकार से "लोक संपत्तियों के सृजन" हेतु राजस्व अभाव के लिए पूरक वित्त हेतु हडको की ओर से ऋण की पेशकश करते हुए क्षेत्रीय प्रमुख – श्री वी. टी. सुब्रमणियन।

नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे - समृद्धि महामार्ग

महाराष्ट्र सरकार की प्रतिष्ठित परियोजना"नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवेमहाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग" को हडको द्वारा कंसोर्टियम फंडिंग के तहत मंजूरी दी गई थी।

हडको योजना संख्या	: 21348
परियोजना लागत	: रु. 55477 करोड़
कुल कंसोर्टियम फंडिंग	: रु. 28000 करोड़
हुडको ऋण स्वीकृत	: रु. 2550 करोड़
अगस्त ३१,२०२१ तक जारी ऋण राशि	:रु. 1666.69 करोड़
स्वीकृति की तिथि	: 30 अगस्त, 2019

नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड ("एमएसआरडीसी") द्वारा प्रचारित एक एसपीवी, 701.15 किमी, छह लेन विकसित कर रहा है, नियंत्रित नागपुर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे ठाणे, नासिक, अहमदनगर, जालना, औरंगाबाद, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती, वर्धा और नागपुर कुल 10 जिलों से होकर गुजर रहा है और 24 जिलोंको जोड़ता है।नागपुर को मुंबई से जोड़ने के अलावा, एक्सप्रेसवे देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट - जेएनपीटी को भी सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। राजमार्ग में रणनीतिक स्थानों पर 50 से अधिक फ्लाईओवर, 24 से अधिक इंटरचेंज, 5 से अधिक सुरंग, 400 से अधिक वाहन और 300 से अधिक पैदल यात्री अंडरपास शामिल होंगे।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 8311.05 हेक्टेयर है|
- 150 किमी की परिकल्पित गति सीमा से नागपुर और मुंबई के बीच यात्रा के समय को वर्तमान 16-18 घंटे से घटाकर 6-8 घंटे करने की उम्मीद है।
- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी), वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी), वर्धा और जालना के शुष्क बंदरगाहों और मुंबई के प्रमुख बंदरगाह जेएनपीटी जैसे कई औद्योगिक क्षेत्रों से कनेक्टिविटी।एक्सप्रेसवे की पूरी लंबाई में व्यापक भूनिर्माण, सुरंग प्रकाश व्यवस्था, पुल सौंदर्यीकरण, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग और डिजिटल साइनेज प्रदान किए जाएंगे।
- जहां भी संभव हो, एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री, फ्लाई ऐश और प्लास्टिक का उपयोग। एक्सप्रेस-वे से बारिश का पानी भी संग्रहित किया जाएगा।
- एक्सप्रेसवे पर प्रवेश और निकास स्वचालित टोल संग्रह के साथ तय की गई दूरी के आधार पर टोल वसूल कर नियंत्रित किया जाएगा।
- हादसों को कम करने के लिए, एक्सप्रेसवे में हर 5 किमी पर सीसीटीवी निगरानी और मुफ्त टेलीफोन बूथ होंगे ताकि किसी भी दुर्घटना और आपात स्थिति के मामले में रिपोर्टिंग की जा सके।
- ओएफसी केबल, गैस पाइपलाइन, बिजली लाइन आदि के लिए एक्सप्रेस-वे के किनारे केबल ट्रे उपलब्ध कराई जाएंगी।

- सड़क की लंबाई: 701.15 कि.मी., यातायात लेन की संख्या : 6 लेन
- पक्के कैरिजवे की चौड़ाई: कैरिजवे 6 लेन विभाजित 3 लेन (प्रत्येक 3.75 मीटर) है, जिसमें 3 मीटर का पक्का कंधा, 2 मीटर का मिट्टी का कंधा है।राईट ऑफ़ वे की चौड़ाई: 120.00 मी.
- परियोजना घटक में इंटरचेंज (27 संख्या), पैदल यात्री/मवेशी अंडर पास (209 संख्या), हल्के वाहन/वाहन अंडर पास (297 संख्या), वाहन ओवर पास (64 संख्या), आरओबी (9 संख्या) के निर्माण की परिकल्पना की गई है।), बड़े और छोटे पुल (307 संख्या), पुलिया (671 संख्या) सुरंग (6 संख्या), नहर पुल (20 संख्या), फ्लाईओवर / पुल (64 संख्या) आदि।

स्थल निरीक्षण के दौरान ली गई तस्वीरें

योजना की भौतिक प्रगति का पता लगाने के लिए समय-समय पर हुडको ,एमआरओ के अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। परियोजना की प्रगति में बाधा से बचने के लिए समय पर संवितरण करने के लिए कोविड पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान भीस्थल निरीक्षण किए गए थे।

Embankment upto Granular sub bas

Via duct

Tunnel

Pavement Quality Concrete laying

वैजयंती महाबले,
संयुक्त महाप्रबंधक (परि)

प्रधान मंत्री आवास योजना मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय का अविश्वसनीय योगदान

वर्ष **2015-2022** के दौरान शहरी क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना सब के लिए आवास (शहरी) मिशन को कार्यान्वित किया गया और यह मिशन वर्ष **2022** तक सभी पात्र परिवारों / लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य के क्षेत्रो के माध्यम से कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया गया | यह मिशन अपने सभी घटकों के साथ दिनाक **17/06/2015** से लागू है दिनाक **30/03/2022** तक कार्यान्वित किया जायेगा | इस मिशन को लाभार्थी, शहरी स्थानिक निकायों और राज्य सरकारों को विकल्प देते हुए चार विकल्पो के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है | ये ४ विकल्प इस प्रकार है |

स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास	क्रेडिट से जुडी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास	भागीदारी में किफायती आवास	लाभार्थी आधारीत व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए
- संसाधन के रूप में भूमि काउपयोग - निजी भागीदारी के साथऔर लोक प्राधिकरण द्वारा – अतिरिक्त FSI/TDR/FAR परियोजनाओ को वित्तीय व्यवहार बनाने के लिएयदि अपेक्षित हो	नए आवास और आवासों के विस्तार के लिए EWS और LIG हेतूसब्सिडी EWS: वार्षिक पारिवारिक आय 03 लाख तक और आवास का आकार 30 वर्ग मीटर तक| LIG: वार्षिक पारिवारिक आय 03 से6 लाख तक और आवास का आकार 60 वर्ग मीटर तक	पैरास्टेटल एजेसियों सहित निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के साथ किफायती आवासीय परियोजनाओं में जहां 35% निर्मित आवास ews श्रेणी के लिए है, प्रती ews आवास केन्द्रीय सहायता |	व्यक्तिगत आवास की अपेक्षा वाले EWS श्रेणी के व्यक्तियों के लिए राज्य को ऐसे लाभार्थी के लिए कृतक परियोजना तैयार करनी है | अलग अलग /छितरे हुए लाभार्थी को शामिल नहीं किया जायेगा

अन्य ३ घटक राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी शहरी स्थानिक निकायों / प्राधिकरणों आधी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है और केवल CLSS से घटक PLI द्वारा कार्यान्वित किया गया है |

इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और LIG तथा MIG वर्ग के लाभार्थी जो आवास के लिए बैंक , वित्त कंपनियां और अन्य ऐसे संस्थाओ से गृह कर्ज की मांग कर रहे है, वे **6.5%** दर पर **20** वर्ष की अवधि के लिए अथवा कर्ज अवधि के दौरान इसमे से जो कम हो उसके लिए ब्याज़ सब्सिडी के लिए पात्र होंगे | तथा मध्यम इनकम के लाभार्थीयों के लिए यह 4% तथा ३% की दर पर **20** वर्ष की अवधि केलिए ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे |

हडको और राष्ट्रिय आवास बैंक (NHB) कर्जदाता संस्थाओ को इस सब्सिडी का वितरण और इस घटककी प्रगती की निगरानी के लिए केंद्रीय नोडल एज्नेंसियो (CNA) के रूप में निर्धारित किया गया है | हडको क्षेत्रीय कार्यालय ने अपने निरंतर कोशिशो द्वारा यह योजना महाराष्ट्र तथा भारत के सभी राज्यों में सफलता से कार्यान्वयन किया है | मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने महाराष्ट्र स्थित सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ करार ज्ञापन करते हुए सभी बैंको को इस योजना का महत्वपूर्ण भाग बनाया है |

(Execution of MoU with Bank of Baroda, by Regional Chief , Shri V.T. Subramanian)

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने राष्ट्रीयकृत बैंको में बैंक ऑफ़ बरोदा जो की विजया बैंक, देना बैंक के विलय से बना है तथा सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया जो की एक 108 वर्षो के इतिहास वाला बैंक है | इन दोनों राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा यह योजना भारत के प्रत्येक राज्यों के छोटे छोटे शहर तक पहुँचाया है | हडको ने सीएनएके तौर पर कुल 77 बैंको के साथ करार ज्ञापन किया है | इन 77 बैंको में केवल मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 29 बैंको के साथ करार ज्ञापन किया है |

2 राष्ट्रीयकृत बैंको के साथ साथ कुल 27 सहकारी बैंको के साथ करार ज्ञापन किया है | यह 27 सहकारी बैंक महाराष्ट्र के छोटे छोटे शहरो में सफलता से कार्यान्वित है | इन बैंको में कही बैंक ऐसी है जो अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोगो द्वारा चलाई गई है जैसे बेसिन कैथोलिक बैंक, जोरास्ट्रियन बैंक जो विभिन्न धार्मिक समुदाय के प्रस्तुत करती है | इन सभी बैंको को करार ज्ञापन के पश्चात मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियो द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है | प्रशिक्षण के दौरान बैंक को सभी प्रश्न सुलझाते हुए आज 5 साल पश्चात इन बैंक के योगदान की वजह से मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय हमेशा ही प्रथम स्थान पर रहा है और हर साल एक नया लक्ष्य प्राप्त कर रहा है |

(मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियो द्वारा बैंक को प्रशिक्षण के कुछ तस्वीरे)
प्रधान मंत्री आवास योजना महाराष्ट्र तथा पुरे भारत वर्ष में सफलता पूर्व कार्यान्वित करने का बड़ा काम मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय नेकिया है | मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के सभी क्षेत्रीय प्रमुख तथा अधिकारी और कर्मचारी गण ने ये योजना सफल करने में बड़ा ही योगदान और सहयोग किया है |
सबके के लिए मकान ये माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना अभी पूर्णता केकरीब पहुंच ही गया है |

(मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियो द्वारा बैंक को प्रशिक्षण के कुछ तस्वीरे)

प्रधान मंत्री आवास योजना महाराष्ट्र तथा पुरे भारत वर्ष में सफलता पूर्व कार्यान्वित करने का बड़ा काम मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय नेकिया है | मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के सभी क्षेत्रीय प्रमुख तथा अधिकारी और कर्मचारी गण ने ये योजना सफल करने में बड़ा ही योगदान और सहयोग किया है |
सबके के लिए मकान ये माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना अभी पूर्णता केकरीब पहुंच ही गया है |

बेटी

अर्चना दरबान
उ. प्र.(सचिवीय)
क.स.4693

मैं हूँ नन्ही परी आई हूँ धरतीपर |
पता है मुझे थोडेही वर्षों मैं,जाना है कहिंपर ||धृ||

माँ पिता ने उंगली पकड़कर उठना सिखाया,
हाथ पकड़कर राह दिखाई |
वो बेटी की जिन्दगी,
माँ पिता का आशीर्वाद बन गई ||१||

दो चोटी किताबे स्कूल जाना ,
करते करते वक्त निकालना,
बाबुल का घर छोड़ने का वक्त आया |
माँ कहे बेटी मायके की परवरिश को,
हमेशा याद रखना कहीं भूल न जाना ||२||

बिदाई की माँ पिता ने,
स्वीकार किया ससुराल का |
हाथ छोड़ पिता का,
साथ दिया पती ने ||३||

पती के प्रेमसे आज मैं,
संसार सुख पाने लगी |
बच्चे हुए पर मायके की,
याद आने लगी ||४||

लेकर मनमे ये रुसवाई,
चलो वापस करे सुनवाई |
बेटी बेटी होती है,
भले ही करो बिदाई |
फूल दिए ससुराल को,
जड़ तो मायके छोड़ आयी ||५||

वारली चित्रकला

महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में वारली जाति के आदिवासियों का निवास है। इस आदिवासी जाति की कला ही वारली लोक कला के नाम से जानी जाती है। यह जन जाति महाराष्ट्र के दक्षिण से गुजरात की सीमा तक फैली हुई है। वारली लोक कला कितनी पुरानी है यह कहना कठिन है । कला में कहानियों को चित्रित किया गया है इससे अनुमान होता है कि इसका प्रारंभ लिखने पढ़ने की कला से भी पहले हो चुका होगा लेकिन पुरातत्व वेत्ताओं का विश्वास है कि यह कला दसवी शताब्दी में लोकप्रिय हुयी। इस क्षेत्र पर हिन्दू, मुस्लिम,पुर्तगाली और अंग्रज़ी शासकों ने राज्य किया और सभी ने इसे प्रोत्साहित किया। सत्रहवें दशक से इसकी लोकप्रियता का एक नया युग प्रारंभ हुआ जब इनको बाज़ार में लाया गया।

वारली कलाकृतियाँ विवाह के समय विशेष रूप से बनायी जाती थीं। इन्हें शुभ माना जाता था और इसके बिना विवाह को अधूरा समझा जाता था। प्रकृति की प्रेमी यह जनजाति अपना प्रकृतिप्रेम वारली कला में बड़ी गहराई से चित्रित करती हैं। त्रिकोण आकृतियों में ढले आदमी और जानवर, रेखाओं में चित्रित हाथ पाँव तथा ज्यामिति की तरह बिन्दु और रेखाओं से बने इन चित्रों को महिलाएँ घरमें मिट्टी की दीवारों पर बनती थीं।

एक विशेषता इस कला में यह होती है कि इसमे सीधी रेखा कहीं नजर नहीं आएगी। बिन्दु से बिन्दु ही जोड़ कर रेखा खींची जाती है। इन्हीं के सहारे आदमी, प्राणी और पेड़-पौधों की सारी गतिविधियाँ प्रदर्शित की जाति है। विवाह, पुरूष, स्त्रीं, बच्चे, पेड़-पौधे, पशुपक्षी और खेत - यहीं विशेष रूप से इन कलाकृतियों के विषय होते है। सामाजिक गतिविधियों को गोबर-मिट्टी से लेपी हुई सतह पर चावल के आटे के पानी में पानी मिला कर बनाए गए घोल से रंगा जाता है। सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त दिवाली, होली के उत्सवों पर भी घर की बाहरी दीवारों पर चौक बनाए जाते हैं। यह सारे त्योहार खेतों में कटाई के समय ही आते हैं इसलिए इस समय कला में भी ताजे चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता है। रँगने का काम अभी भी पौधों की छोटी-छोटी तीलियों से ही किया जाता है। दो चित्रों में अच्छा खासा अंतर होता है। एक एक चित्र अलग अलग घटनाएँ दर्शाता है ।

ओमकार भोईटे
सुपुत्र - चित्रा भोईटे
स.प्र. (आय.टी.)

आपको निवेश क्यों करना चाहिए ?

विद्याधर मोकाशी
उप प्रबंधक (आय टी)

निवेश की आदत भविष्य के लिए आपको आर्थिक आजादी प्रदान करती है जिसके जरिये आप अपनी मनपसंद दगी जीने और वो करने के लिए आजाद हो जो आप करना चाहते है |

आपके द्वारा निवेश की आदत आपके भविष्य के लिए एक अच्छा रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकता है जिसका आप अपने रिटायरमेंट के बाद कैसे भी उपयोग कर सकते है |

एक तरीके से आपके आने वाले भविष्य के एक आय का साधन होता है जिसमे या तो आपको ब्याज प्राप्त होता है या आपके द्वारा कुछ भी बेचीं या खरीदी गई चीजों का समय के साथ मूल्य बढ़ता है |

निवेश की आदत आपके भविष्य को भी सुरक्षित बनाती है क्योंकि यदि आने वाले समय में आप या आपके परिवार के लोग किसी भी भयंकर बिमारी या दुर्घटना के शिकार हो जाते है तो ऐसे में कहीं भी निवेश में लगाया फण्ड आपके बहुत काम आ सकता है |

भविष्य में नये व्यापार के लिए पूंजी निर्माण का कार्य आपके द्वारा निवेश की गई धनराशि से संभव हो जाता है जिससे आप भविष्य में अपना कुछ नया व्यापार बड़े आराम से शुरू कर सकते है |

बढ़ती मंहगाई हमारे पैसे की वैल्यू कम करती है और जीवन में निवेश की आदत हमे इस समस्या से छुटकारा दिला सकती है | निवेश वर्तमान और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह आपको अपनी संपत्ति बढ़ाने की अनुमति देता है और साथ ही साथ रिटर्न उत्पन्न करता है। कंपाउंडिंग की ताकत से भी आपको फायदा होता है।

इसके अलावा, निवेश में आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता है, जैसे कि घर खरीदना, सेवानिवृत्ति कोष जमा करना, और दूसरों के बीच एक आपातकालीन निधि का निर्माण करना।

निवेश वित्तीय अनुशासन की भावना पैदा करता है क्योंकि आप अपने निवेश के प्रति महीने या हर साल एक विशेष राशि को अलग करने की आदत विकसित करते हैं।

कुछ निवेश जैसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) आदि आपकी टैक्स देनदारी को कम करने में मदद करते हैं।

लोकप्रिय निवेश विकल्प

- डायरेक्ट इक्विटी

इसे आमतौर पर शेयर निवेश के रूप में जाना जाता है . यह निवेशकों के बीच सबसे पसंदीदा निवेश विकल्पों में से एक है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी में स्वामित्व हिस्सेदारी हासिल करते हैं। पूंजीगत प्रशंसा में दीर्घकालिक स्टॉक निवेश एड्स। शेयर निवेश में आकर्षक रिटर्न अर्जित करने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इस प्रकार के निवेश में जुड़े जोखिम हैं।

- **म्यूचुअल फंड**

एक म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों से एकत्र किए गए धन का एक पूल शामिल है जो एक साझा निवेश उद्देश्य साझा करते हैं। इस प्रकार एकत्र किए गए धन को विभिन्न साधनों जैसे स्टॉक, बांड, मुद्रा बाजार आदि में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड निवेश लचीला माना जाता है क्योंकि आप अपनी इच्छा के अनुसार निवेश शुरू कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। वे मॉडरेट रिटर्न देते हैं, लेकिन जोखिम इक्विटी निवेश की तुलना में कम होता है।

- **पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)**

पीपीएफ एक सरकार समर्थित बचत योजना है जिसका उद्देश्य छोटी बचत जुटाना और व्यक्तियों को एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति के बाद जीवन प्रदान करना है। यह एक लंबी अवधि की बचत योजना है जिसमें 15 साल की लॉक-इन अवधि है। पीपीएफ निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं और उन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित भी माना जाता है।

- **कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)**

पीपीएफ की तरह ही ईपीएफ भी एक रिटायरमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो खासतौर पर वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है। इस योजना के तहत नियोक्ता से समान अंशदान के साथ कर्मचारी के मासिक वेतन से एक निश्चित प्रतिशत की कटौती की जाती है। ईपीएफ अंशदान कर कटौती के लिए पात्र है, और परिपक्वता पर प्राप्त अंतिम राशि भी पूरी तरह से कर मुक्त है।

- **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)**

एनपीएस एक रिटायरमेंट पेंशन स्कीम है जिसे सरकार ने एक कॉर्पस बनाने के लिए शुरू किया है जो रिटायरमेंट के बाद लोगों को मासिक पेंशन प्रदान कर सकती है। इसमें सेवानिवृत्ति तक लॉक-इन अवधि अनिवार्य है; हालांकि, आप सेवानिवृत्ति के बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं। एनपीएस की ओर किए गए निवेश भी कर कटौती के लिए पात्र हैं।

- **फिक्स्ड डिपॉजिट**

फिक्स्ड डिपॉजिट को रूढ़िवादी निवेशकों के लिए एक आदर्श निवेश विकल्प माना जाता है। वे निवेश की एक विशिष्ट अवधि के लिए रिटर्न की एक निश्चित दर प्रदान करते हैं, इस प्रकार गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करते हैं।

- **निवेश विकल्प चुनना**

निवेश करने का लक्ष्य केवल निवेश करना नहीं होता है। निवेश भविष्य की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि निवेश करने से पहले भविष्य की वित्तीय जरूरतों का आकलन कर लिया जाए। वित्तीय लक्ष्यों को तय करते हुए उन्हीं के अनुरूप अलग-अलग पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहिए। हर लक्ष्य के हिसाब से निवेश का प्रकार और तरीका तय करते हुए ही भविष्य की जरूरतों को सही तरह से पूरा करना संभव हो सकता है।

निवेश विकल्प आपकी जोखिम-असर क्षमता, आयु, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए, अपने लिए एक बुद्धिमान विकल्प बनाएं। उचित शोध करने और अपने निवेश विकल्पों को पर्याप्त रूप से समझने के बाद निवेश करना अच्छा है। आप चाहें तो अपने निवेश और रिटर्न पर टैक्स के निहितार्थ पर भी विचार कर सकते हैं।

निवेश भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए सही समय पर अपनी निवेश यात्रा शुरू करें क्योंकी समय भी पैसा होता है और सही समय पर निवेश कर भविष्य में बेहतर जीवन प्राप्त कर सकते है|

मेरे कार्यालय की सुनहरी यादें !

भारती रायकुवर
प्रबंधक (वित्त)

मैंने हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय 1990 में सहायक श्रेणी-III के पद पर ज्वाइन किया था और सीखते-सीखते आज प्रबंधक की पोस्ट तक पहुँच गई। हर व्यक्ति के जीवन मैं एक दिन जरुर आता है जब वह अपनी सेवाओं से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब मैं थोड़ा पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि अभी कुछ ही साल पहले मैंने हडको ज्वाइन किया था और आज मुझे ३१ साल इस कम्पनी मैं काम करते हुए हो गए हैं और अगले ही महीने में मेरा रिटायरमेंट भी हो जायेगा। यदि यह सफ़र मुझे इतना छोटा दिखाई दे रहा है तो इसमें हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के सकारात्मक माहौल का, एक जुझारु टीम का और सबसे ज्यादा मेरे सहकर्मियों का योगदान है, जिन्होंने मेरे हर एक दिन को बहुत अच्छा बनाया है। मैं तहे दिलसे हडको का शुक्रिया करना चाहती हूँ जिसने मुझे एक अवसर दिया कि मैं अपना छोटासा योगदान इस संगठन की बड़ी सफलता में दे सकूं। इन बीते सालों में हमने एक संगठन के रूप में कई तरह के दिन देखे, कई उतार चढाव भरे पल भी आये लेकिन हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ पर काम कर रहे लोग। यहाँ पर काम कर रहा हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से समझता और निभाता है। इस ताकत के बल पर हडको हर मुश्किल से लड़ा और सफलता के एक नए मुकाम को छूने में भी कामयाब हुआ।

शुरुवात के दिनों में काम करना उतना आसान नहीं था क्योंकि उस ज़माने में टेक्नोलोजी का विकास उतना नहीं हुआ था जैसे टाइपराइटर, टेलेक्स और उंगली घुमाने वाले फोन होते थे जिसमे ट्रंक कॉल करते थे,और क्योंकि सारा काम मैन्युअल होता थाइसलिए उसे करने में समय बहुत भी लगता था। हमारी कंपनी में कंप्यूटर आने पर हमने भी इसका इस्तेमाल हमारे दैनिक सामान्य कामों के लिए करना सीखा। फिर जब 2001 में हडको की सावधि जमा योजना का सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में डिसेन्ट्रलाईजेशन हुआ तो सावधि जमा योजना (पीडीएस) की जिम्मेदारी मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में मुझे सौंपी गई। मैंने हडको में सभी विभागों में काम किया और सभी विभागों में काम करके अनुभव प्राप्त किया।

हडको के साथ जुड़कर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे याद है किस तरह से मुझे यहाँ वक्त की पाबंदी का सबक मिला था। एक बड़ी टीम का हिस्सा बनकर और अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने का हुनर भी मैंने यहीं सिखा है।

हम सबकी जिन्दगी मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ साथ-साथ चलती है। मैंने हमेशा अपने प्रोफेशनल लाइफ को प्राथमिकता दी। मुझे यह बात कहते हुए आज बहुत गर्व हो रहा है की इस कंपनी का मैनेजमेंट भी परिवार के महत्त्व को बहुत अच्छी तरह समझता है। इसलिये सभी अधिकारी एवं कर्मचारी एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं और हरएक सुख-दुःख में शामिल होते हैं। मैंने अपने काम को पूरी निष्ठा और इमानदारी के साथ करने का प्रयास किया और हर नई चुनौती को परेशानी की तरह नहीं बल्कि सीखने के नये अवसर के तौर पर देखा।

क्योंकि मैंने अपने जीवन का अधिकतर समय यहीं व्यतीत किया है इसलिए यह मेरा दूसरा घर था जहाँ मैंने अपने साथियों के साथ नहीं बल्कि परिवार के अपनों की तरह प्यार पाया। मुझे ऐसे अनेक मौके याद आ रहे हैं जहाँ हम सब एक साथ मिलकर पार्टी करते थे त्यौहार मनाते थे और ऐसे अवसर पर सज-धजकर ऑफिस आने का एक अनोखा आनंद पाते थे। हम सब अपने परिवारजनों समेत कई बार ऑफिस की तरफ से घूमने-फिरने, पिकनिक मनाने जाते थे और वे मनोरंजक पल मैं कभी भुलाये नहीं भूल सकती। मुझे वह दो अवसर याद हैं जब अधिक बारिश के कारण सड़कों, रास्तों और रेल लाईनों पर पानी भर गया था और मुंबई की लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। तब हम ट्रेन बंद होने के कारण उस रात घर नहीं जा सके और रातभर हम बहुत से लोगों को ऑफिस में रुकना पड़ा था। उस रात हम सब लोगों को खाना मिलना भी मुश्किल हो गया और रातभर वक्त बिताने के लिए हम लोगों ने अन्ताक्षरी और कैरम खेल कर बिताया। ऐसे कई मनोरंजन पलों के साथ मैंने मेरे कार्यालय के दौरान में लॉकडाउन के दिन भी अनुभव किये जब हमको “वर्क फ्रॉम होम” करना पड़ा जो टेक्नोलॉजी द्वारा संभव हो पाया। मेरा जो कार्यालयीन कार्य का लम्बा सफ़र टाइपराइटर से शुरू हुआ वो आज आधुनिक स्मार्टफोन और लैपटॉप से समाप्त होने को आया है।

सबसे अच्छी बात मेरे दिल में सदा याद रहेगी कि; इस मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के हरएक कर्मचारी से मुझे सम्मान और सहयोग मिला है फिर चाहे वह बॉस हो या फिर कोई कर्मचारी। यही कारण था कि मुझे भी लगातार उनके साथ सम्मान के साथ पेश आने के लिए प्रेरणा मिली।

यह मेरी खुशकिस्मती है कि इतने अद्भुत संगठन और प्यारे लोंगो के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला जिनके साथ मैंने हडको, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में अपने सेवाकाल के दौरान काम किया|

सवेरा

प्रवीण के के
उप महाप्रबंधक (परि)

सवेरा जैसा कि नाम से पता चलता है, मुंबई में विशेष बच्चों के जीवन में खुशियाँ और प्रकाश लाने के लिए महाराष्ट्र महिला परिषद द्वारा संचालित एक सुंदर दीक्षा है।

सवेरा - "Dawn" केंद्र और आश्रय कार्यशाला एक ऐसी संस्था है जो १३ से २० वर्ष की आयु के बीच बौद्धिक रूप से कमजोर, वंचित बच्चों की सेवा करती है, और इन युवा वयस्कों के लिए एक शिशु सदन (डे-केयर) प्रदान करती है जो अक्सर अपने माता-पिता के दिन के काम के दौरान अकेले रहने में असमर्थ होते हैं। यहां इन बच्चों की पूरे दिन देखभाल की जाती है, भोजन उपलब्ध कराया जाता है और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है जो उन्हें सुरक्षित स्थान पर होने के साथ-साथ परिवार की आय को पूरा करने में भी मदद कर सकता है।
सवेरा केंद्र के दायरे में तीन मुख्य परियोजनाएं हैं। यह अकादमिक अध्ययन, मनोरंजन और रचनात्मक गतिविधियों के लिए कक्षाएं संचालित करता है। ये सभी चिकित्सीय विधियों का उपयोग करके आयोजित किए जाते हैं। यह उन बच्चों के लिए व्यावसायिक कक्षाएं भी आयोजित करता है जिन्हें चीजों को बनाने के लिए बुनियादी कौशल सिखाया जा सकता है तथा भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए बाल मार्गदर्शन क्लिनिक भी आयोजित किया जाता है। एक प्रशिक्षित

काउंसलर उन बच्चों का भी परीक्षण करता है जिन्हें माता-पिता विशेष जरूरतों का पता लगाने के लिए लाते हैं और ऐसे बच्चों के माता-पिता के लिए चिकित्सा प्रदान करते हैं। सवेरा केंद्र और आश्रय कार्यशाला, अपने शिक्षकों और प्रशिक्षित संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। यह एक ऐसी संस्था है जिसके लिए विशिष्ट और प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है, और लगातार इसमें अधिक प्रशिक्षित कर्मयिों की आवश्यकता होती है।

यहाँ के एक सामान्य युवा व्यक्ति के जीवन में दिवस के दौरान खेल, संगीत, विभिन्न गतिविधियाँ और बहुत सारी नई सीख शामिल होती हैं। बच्चों को रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं बनाना सिखाया जाता है, जिसे बाद में वे विभिन्न प्रदर्शनियों में बेच देते हैं और इन उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय बच्चों को सौंप दी जाती है जो उन्हें वजीफा के रूप में बनाते हैं। ये बच्चे उपहार बैग, डस्टर, कोस्टर और कई तरह के उत्पाद बनाते हैं जो सामान्य मात्रा में उपयोगी और सौंदर्यपूर्ण होते हैं।

आम तौर पर किसी भी आयोजन के दौरान सामान्य स्कूल में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सवेरा स्कूल हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के बहुत पास है और हडको के लगभग सभी कर्मचारी स्कूल के बारे में जानते हैं और बच्चों के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। इसलिए स्कूल के छात्रों की भागीदारी के साथ स्कूल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान एक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने स्कूल के छात्रों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। जरूरत के हिसाब से छात्रों को पेंटिंग बॉक्स, पेंसिल, इरेज़र, ड्राइंग शीट, बिंदीदार चित्रों वाली चादरें रंगने के लिए प्रदान की गईं। शिक्षकों के निर्देशानुसार उन्हें चित्र और आरेख दिए गए। कार्यक्रम में लगभग ४० विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रधानाचार्य, शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों ने स्कूल में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हडको द्वारा की गई पहल की सराहना की। बच्चों की मासूमियत और खुशी देखकर हम सभी को अति प्रसन्नता हुई।

बच्चों की मासूमियत और खुशी देखकर हम सभी को अति प्रसन्नता हुई।

सूचना का अधिकार

सुभेन्दु घोष
वरिष्ठ प्रबंधक (विधि)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद **19 (1)** हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार **(Right to Freedom of Speech and Expression)**प्रदान करता हैI सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005** भारत के संविधान के तहत प्रदान की गईइसीमौलिक अधिकार का एक परिणाम हैI सूचना का अधिकार अधिनियम ने भारत के नागरिकों के साथ सूचना साझा करने में सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 **(Official Secrets Act 1923)** के तहत मौजूद बाधाओं को दूर कर दिया है I

सभी नागरिकों को भारत के संविधान के तहत सूचना का अधिकार है, क्योंकि, जब तक किसी नागरिक को पर्याप्त रूप से सूचित नहीं किया जाता है, वह अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता हैI एक सूचित नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक निगरानी रखने और सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैIसूचना का अधिकार नागरिकों को निर्णय लेने में भाग लेकर और सभी स्तरों पर भ्रष्ट कार्यों को चुनौती देकर कार्यभार संभालने के लिए सशक्त बना सकता हैI सूचना का अधिकार से भारत का कोई भी नागरिकसरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है, मूल्यांकन कर सकता हैं और निर्धारित कर सकते हैं कि उनके द्वारा चुनी गई सरकार अपेक्षित परिणाम दे रही है या नहीं I सूचना का अधिकार से नागरिकों की भूमिका को केवल दर्शक से बदलकर शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनने में मदद मिल सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य हैनागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना,भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र का वास्तविक रूप में अनुपालन करना I

सूचना का अधिकार अधिनियम **2005** के अनुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण **(Public Authority,** जिसमें शामिल है, प्राधिकरण, निकाय, स्व-सरकार की संस्था जो स्थापित या गठित हैं संविधान द्वारा, संसद या राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा, राज्य या केंद्र सरकार की, अधिसूचना या आदेश द्वारा, राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित

निकाय, जिसमें गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त सरकारी धन प्राप्त करते हैं) को कुछ सूचनाओं को स्वतः प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है ताकि लोगों को उक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे प्राधिकरण से संपर्क करने की आवश्यकता न हो। अन्य जानकारी के लिए, जो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा स्वप्रेरणा सेप्रकाशित नहीं की जाती हैं, आवेदक के अनुरोध पर और निर्धारित शुल्क के भुगतान के पश्चात जानकारी प्रदान करने लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों बाध्य है।यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति है तो उसे शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है । आवेदनों के निस्तारण एवं सूचना देने के संबंध में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को एक केंद्रीय/ राज्य लोक सूचना अधिकारी **(Central / State Public Information Officer),** अपीलीय प्राधिकारी **(Appellate Authority)** को नामित करना है। यदि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है या आवेदक प्रदान की गई जानकारी से असंतुष्ट है, तो वह संबंधित लोक प्राधिकरण के अपीलीय प्राधिकारी के पास पहली अपील दायर कर सकता है। यदि आवेदक पहली अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह केंद्रीय सूचना आयोग **(Central/ State Information Commission)** के पास दूसराअपील कर सकता है ।

यह अधिनियम सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, **2002 (Freedom of Information Act, 2002)** प्रतिस्थापितकरताहै।सार्वजनिक प्राधिकरण को **30** दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य है ।

एक नागरिक को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी:

१. जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी अपराध को बढ़ावा देने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

२. सूचना, जिसे किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है या जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय की अवमानना हो सकती है

३. सूचना, जिसके प्रकटीकरण से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होगा

४. वाणिज्यिक, विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को वारंट करता है

५. मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट के कागजात, बशर्ते कि मंत्रिपरिषद के निर्णय, उसके कारण और सामग्री जिसके आधार पर निर्णय लिए गए थे, और मामला पूरा हो गया है, या खत्म हो गया है, निर्णय के बाद सार्वजनिक किए जाएंगे, बशर्ते

वे मामले जो इस धारा में निर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आते हैं, उन्हें प्रकट नहीं किया जाएगा

६.ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता पर अवांछित आक्रमण का कारण बनता है, जब तक कि लोक सूचना अधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को सही ठहराता है

७. यदि मांगी गई जानकारी प्रदान करने में राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में मौजूद कॉपीराइट का उल्लंघन है, सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, लेकिन अगर सूचना प्रदान करने में सार्वजनिक हित अधिक है, तो सूचना का खुलासा सूचना अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। यह भी याद रखना चाहिए कि यदि किसी सूचना को संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है तो उसे किसी नागरिक को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कई बार यह देखा जाता है कि निजता के अधिकार**(Right to Privacy)** और सूचना के अधिकार के बीच हितों का टकराव होता है। निजता का अधिकार और सूचना का अधिकार दोनों ही आवश्यक मानव अधिकार हैं। ये दो अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। जब सरकार द्वारा धारित व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच की मांग की जाती है, तो यह टकराव आसन्न हो जाता है। किसी भी संभावित टकराव से बचने के लिए दो अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र होना चाहिए ।

हाल के दिनों में, आरटीआई की मदद से सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में चल रही कई कुरीतियों का पता लगाया गया है और उनका समाधान किया गया है। स्वतंत्र और सशक्त भारत के निर्माण में आरटीआई अधिनियम **2005** का योगदान अतुलनीय है ।

(यह लेख सूचना के अधिकार अधिनियम के कुछ बुनियादी प्रावधानों पर चर्चा करने का एक प्रयास है। विस्तृत जानकारी के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम **2005** को संदर्भित करने की आवश्यकता है)

पाककला

महाराष्ट्रियन कोकण डोसा (घावण)

सामग्री : 4 कटोरी चावल, पाव कटोरी उड़द डाल, पानी, नमक और तेल |

विधी : 4 कटोरी चावल लेके पाव कटोरी उड़द दाल मिक्स करे और ३ बार पानी से अच्छे से धोकर ले, आधा घंटा ये मिश्रण गुनगुने पानी में रखे फिर उसे पानी से निकालकर डोसा मिश्रण जैसा ग्राइंड करे | नॉन स्टिक पैन पर ब्रश के सहायता से तेल लगाये और डोसे जैसा घावण मिश्रण फेलाए | एक मिनट के लिए ढककर पलट दे | घावण अच्छे से सेककर खाने के लिए चटनी के साथ परोसे | यह रुचिकर, टेस्टी तुरन्त बननेवाली हेल्थी रेसिपी सुबह के नाश्ते के लिए तैयार है |

श्रीमती अर्चना नीलवर्ण
पत्नी - नितिन नीलवर्ण

उपवासाचे खमंग थालीपीठ

सामग्री : ३-४मध्यम शकरकंद, १/4 कटोरी बगरी आटा, २ चमच राजगीर आटा, २ चमच शिंगाडा आटा, २ चमच अदरक मिर्ची पेस्ट, १/4 चमच जीरे पावडर, स्वादानुसार नमक, हरा धनिया, १/२ चमच लेमन जूस

विधी : शकरकंद धोके उबाल लीजिये |ठंडा होने के बाद उसका छिलका निकालकर मैश कर ले उसमे बगरी आटा, राजगीर आटा, शिंगाडा आटा, अदरक मिर्ची पेस्ट, जीरे पावडर, स्वादानुसार नमक, हरा धनिया, लेमन जूस मिलाकर आटा बूंद ले | गरम पैन पे थोडा तेल डालकर दोनों तरफ से थालीपीठ सेंक ले | नारियल के चटनी के साथ परोंसे |

श्रीमती विमल भोसले
पत्नी - दिलीप भोसले

रायगढ़ किले की सैर

दीपावली की छुटिटयों में अपने परिवार के साथ पर्यटन की येजना बनाई। इस बार हम सबने किसी ऐतिहासिक स्थान को देखने का निश्चय किया और सबके निर्णय से रायगढ़ किला देखने जाने की तैयारी की। रायगढ़ हमारे इतिहास का गौरव है। लगभग तीन सौ वर्ष पहले यहां शिवाजी महाराज की राजधानी थी। यहीं वे हिन्दू साम्राज्य के छत्रपति बने और यहीं उन्होंने एक श्रेष्ठ शासक का यश पाया। पर्यटन के लिए इससे अच्छा और कौन सा स्थान हो सकता है।

ठाणे से हम सब कार द्वारा रायगढ़ पहुंचे। वहां से रायगढ़ किले पर जाने के लिए रापवे जाना पड़ता है। जब हम रोपवे से जाते हैं तो रोपवे से बहुत गहराई तक दिखाई पड़ता है वह नजारा देखकर बहुत आनन्द आता है और डर भी लगती है। यह एक पहाड़ी इलाका है, चारों ओर टेक्डियां हैं। आस-पास कुछ गांव बसे हैं। वर्ष के बाद यहां का दृश्य बड़ा ही सुन्दर लगता है। चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही थी। हरे-भरे ऊंचे-ऊंचे वृक्षों के कारण जंगल का आभास हो रहा था। जब हम किले के पास पहुँचे तो हमारी खुशी और अधिक बढ़ गई। काले पत्थरों की एक शानदार लेकिन टूटी-फूटी इमरत सामने खड़ी थी। महाराष्ट्र सरकार ने किले की दुरूस्ती करवाई है। लेकिन ऐसे स्थानों पर काल का प्रभाव तो पड़ता ही है। किले की देखरेख के लिए वहां एक स्थाई कार्यालय भी खोला गया है।

इस समय वहां बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए आये हुए थे। उसमें कई विदेशी लोग भी पर्यटन के लिए आये थे। द्वार खुलने पर हम सब लोग किले के भीतर गए। सामने एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। गाईड ने बताया कि वहां छत्रपति शिवाजी महाराज का दरबार लगता था। हॉल के पास ही तोप घर था जहाँ बड़ी-बड़ह तोपें रखी जाती थीं। उसके आस-पास बड़े-बड़े कमरे थे जो अब टूटे-फूटे थे। कहते हैं कि इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार, मंत्री रहते थे। आगे चलने पर घास से भरा हुआ एक बड़ा मैदान दिखाई पड़ा। पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के दौरान यहां एक विशाल उद्यान था। उसी के पस कुछ उँचाई पर कई कमरे थे। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के महल का भाग था। गाईड ने वह जगह भी हमें दिखाई जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का कमरा था। टूटी-फूटी और गिरी हुई दीवारें प्राचीन कला की भव्यता का आभास करवा रही थीं। उनके बीच हरी-हरी घास उगी हुई थी। हमारा मन उस काल में खो गया जब सचमुच रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज रहते थे। लगभग दो-तीन घंटों के बाद हम किले से बाहर निकले।

रायगढ़ किला काफी ऊंचाई पर है। ऐतिहासिक रूप से यह आज भी सुरक्षित है। उसकी छतें जरूर गायब हो गई हैं लेकिन दीवारें आज भी काल से टक्कर लेती हुई खड़ी हैं। रायगढ़ किले को देखकर हम बहुत प्रभावित हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवगाथा को याद करते हुए हम वहां से वापस आए।

नेहा कानडे
सुपुत्री – चंद्रकान्त कानडे
प्रबंधक (वित्त)

जिंदगी खुबसूरत है

कांचन सावंत
सहायक प्रबंधक

जिंदगी खुदा का दिया गया एक बेहतर तोफा है। जिंदगी को आप जीस नजरसे देखते हो, उसी नजर से जिंदगी आप को देखती है ।मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है यह बार बार नहीं मिलता तो ऐसी जिंदगी जिये की हम अपने निशान, पैलु छोड जाए ताकी आने वाले लोग हमें याद करे। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वक्ति वो होता है जो अपने खुशी से ज्यादा दुसरो की खुशी को बड़ा देता है ।

“आनंद का रहस्य स्वतंत्रता है
और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है”

यह एहसास किसी बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं करता यह हमारे मानसिक दृष्टीकोण पर आधारित है | प्रसन्नता यह वो पुरस्कार है की हमारे समझ के अनुरूप है |उदासिंयो की वजह तो बहुत है इस संसार मैं पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है |हसना, खिलना, चहकना यह सभी भाव एक हीरे की तरह अनमोल है | जिसे आप बीना खरेदी पहन सकते है। और जब यह अनमोलता आप के पास है तो आपको सुन्दर दिखने के लिए और किसी अन्य चीजो की आवश्यकता नहीं |

मंडला चित्रकला

मंडला क्या है ?

मंडला एशियाई संस्कृति में एक आध्यात्मिक और अनुष्ठान का प्रतीक है। इसे दो अलग-अलग तरीकों से समझा जा सकता है: बाहरी रूप से ब्रह्मांड के एक दृश्य प्रतिनिधित्व के रूप में या आंतरिक रूप से ध्यान सहित कई एशियाई परंपराओं में होने वाली कई प्रथाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में, मान्यता यह है कि मंडल में प्रवेश करके और इसके केंद्र की ओर बढ़ते हुए, आपको ब्रह्मांड में दुख से सुख की ओर तथा खुशी में बदलने की ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के माध्यम से निर्देशित किया जाता है।

उक्त कलाकृती **कुमारी अस्मी श्रीनिवास दवटे** द्वारा निकाली गयी है ।

सायबर सुरक्षा

प्रगती जाधव
वरिष्ठ प्रबंधक (आई.टी.)
अनुवादित

साइबर सुरक्षा कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने का अभ्यास है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा या इलेक्ट्रॉनिक सूचना सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है । यह शब्द व्यवसाय से लेकर मोबाइल कंप्यूटिंग तक विभिन्न संदर्भों में लागू होता है ।

इसे निम्लिखित सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

नेटवर्क सुरक्षा घुसपैठियों से कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षित करने की प्रथा है, चाहे लक्षित हमलावर हों या अवसरवादी मैलवेयर।

एप्लिकेशन सुरक्षा सॉफ़्टवेयर और उपकरणों को खतरों से मुक्त रखने पर केंद्रित है। एक समझौता किया गया एप्लिकेशन उस डेटा तक पहुंच प्रदान कर सकता है जिसे इसे संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसी प्रोग्राम या डिवाइस को तैनात करने से पहले, डिज़ाइन चरण में सफल सुरक्षा शुरू हो जाती है।

सूचना सुरक्षा भंडारण और पारगमन दोनों में डेटा की अखंडता और गोपनीयता की रक्षा करती है।

परिचालन सुरक्षा में डेटा संपत्तियों को संभालने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रक्रियाएं और निर्णय शामिल हैं। नेटवर्क तक पहुँचने के दौरान उपयोगकर्ताओं के पास अनुमतियाँ होती हैं और प्रक्रियाएँ जो यह निर्धारित करती हैं कि डेटा को कैसे और कहाँ संग्रहीत या साझा किया जा सकता है, सभी इस छत्र के अंतर्गत आते हैं।

डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस निरंतरता परिभाषित करती है कि एक संगठन साइबर-सुरक्षा घटना या किसी अन्य घटना पर कैसे प्रतिक्रिया करता है जो संचालन या डेटा के नुकसान का कारण बनता है। डिजास्टर रिकवरी नीतियां तय करती हैं कि कैसे संगठन अपने संचालन और सूचना को उसी परिचालन क्षमता पर वापस लाने के लिए पुनर्स्थापित करता है जैसा कि घटना से पहले था। व्यवसाय निरंतरता वह योजना है जिसे संगठन कुछ संसाधनों के बिना संचालित करने का प्रयास करते समय वापस आ जाता है।

अंतिम उपयोगकर्ता शिक्षा सबसे अप्रत्याशित साइबर-सुरक्षा कारक को संबोधित करती है: लोग। अच्छी सुरक्षा प्रथाओं का पालन करने में विफल होने पर कोई भी गलती से किसी अन्य सुरक्षित सिस्टम में वायरस का परिचय दे सकता है। किसी भी संगठन की सुरक्षा के लिए उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध ईमेल अटैचमेंट को हटाना, अज्ञात यूएसबी ड्राइव में प्लग इन नहीं करना और कई अन्य महत्वपूर्ण सबक सिखाना महत्वपूर्ण है।

साइबर सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ सामान्य विधियां यहां दी गई हैं:
मैलवेयर मालवेयर का अर्थ है दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर। सबसे आम साइबर खतरों में से एक, मैलवेयर एक ऐसा सॉफ़्टवेयर है जिसे किसी साइबर अपराधी या हैकर ने किसी वैध उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को बाधित या क्षतिग्रस्त करने के लिए बनाया है। अक्सर एक अवांछित ईमेल अटैचमेंट या वैध दिखने वाले डाउनलोड के माध्यम से फैलता है, मैलवेयर का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा पैसा बनाने या राजनीति से प्रेरित साइबर हमलों में किया जा सकता है। मैलवेयर कई प्रकार के होते हैं:

वायरस: एक सेल्फ-रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम जो खुद को साफ फाइल से जोड़ता है और पूरे कंप्यूटर सिस्टम में फैल जाता है, फाइलों को दुर्भावनापूर्ण कोड से संक्रमित करता है।
ट्रोजन:एक प्रकार का मैलवेयर जो वैध सॉफ़्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। साइबर अपराधी उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर पर ट्रोजन अपलोड करने के लिए धोखा देते हैं जहां वे नुकसान

पहुंचाते हैं या डेटा एकत्र करते हैं।

स्पाइवेयर:एक प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता द्वारा किए गए कार्यों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता है, ताकि साइबर अपराधी इस जानकारी का उपयोग कर सकें। उदाहरण के लिए, स्पाइवेयर क्रेडिट कार्ड विवरण प्राप्त कर सकता है।

रैनसमवेयर:मैलवेयर जो उपयोगकर्ता की फ़ाइलों और डेटा को लॉक कर देता है, और फिरौती का भुगतान न करने पर इसे मिटाने की धमकी देता है।

एडवेयर:विज्ञापन सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग मैलवेयर फैलाने के लिए किया जा सकता है।

बॉटनेट: मैलवेयर संक्रमित कंप्यूटरों के नेटवर्क जिनका उपयोग साइबर अपराधी उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना ऑनलाइन कार्य करने के लिए करते हैं।

एसक्यूएल इंजेक्षन

एक SQL (संरचित भाषा क्वेरी) इंजेक्शन एक प्रकार का साइबर-हमला है जिसका उपयोग डेटाबेस से डेटा को नियंत्रित करने और चोरी करने के लिए किया जाता है। साइबर अपराधी दुर्भावनापूर्ण SQL कथन के माध्यम से डेटाबेस में दुर्भावनापूर्ण कोड डालने के लिए डेटा-संचालित अनुप्रयोगों में कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। यह उन्हें डेटाबेस में निहित संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है।

फ़िशिंग : फ़िशिंग तब होती है जब साइबर अपराधी पीड़ितों को ईमेल से लक्षित करते हैं जो संवेदनशील जानकारी मांगने वाली वैध कंपनी से प्रतीत होते हैं। फ़िशिंग हमलों का उपयोग अक्सर लोगों को क्रेडिट कार्ड डेटा और अन्य व्यक्तिगत जानकारी सौंपने के लिए धोखा देने के लिए किया जाता है।

मैन-इन-द-बीच का हमला : मैन-इन-द-मिडिल अटैक एक प्रकार का साइबर खतरा है जहां एक साइबर क्रिमिनल डेटा चोरी करने के लिए दो व्यक्तियों के बीच संचार को रोकता है। उदाहरण के लिए, एक असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क पर, एक हमलावर पीड़ित के डिवाइस और नेटवर्क से पारित होने वाले डेटा को रोक सकता है।

सर्विस अटैक से इनकार : डिनायल-ऑफ-सर्विस अटैक वह है जिसमें साइबर अपराधी एक कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क और सर्वर को ट्रैफिक से भरकर वैध अनुरोधों को पूरा करने से रोकते हैं। यह सिस्टम को अनुपयोगी बना देता है, एक संगठन को महत्वपूर्ण कार्यों को करने से रोकता है।

साइबर खतरों के प्रकार

साइबर सुरक्षा द्वारा सामना किए जाने वाले तीन खतरे हैं:

1. साइबर अपराध में वित्तीय लाभ के लिए या व्यवधान पैदा करने के लिए सिस्टम को लक्षित करने वाले एकल अभिनेता या समूह शामिल हैं।
2. साइबर हमले में अक्सर राजनीति से प्रेरित जानकारी एकत्र करना शामिल होता है।
3. साइबर आतंकवाद का उद्देश्य घबराहट या भय पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कमजोर करना है।

साइबर सुरक्षा युक्तियाँ - साइबर हमलों से स्वयं को सुरक्षित रखेंव्यवसाय और व्यक्ति साइबर खतरों से कैसे बचाव कर सकते हैं? यहां साइबर सुरक्षा सुझाव दिए गए हैं:

1. अपने सॉफ़्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें: इसका मतलब है कि आपको नवीनतम सुरक्षा पैच से लाभ होता है।
2. एंटी-वायरस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें: एंटी-वायरस सॉफ़्टवेयरजैसे सुरक्षा समाधान खतरों का पता लगाएंगे और उन्हें हटा देंगे। सुरक्षा के सर्वोत्तम स्तर के लिए अपने सॉफ़्टवेयर को अद्यतन रखें।
3. मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें: सुनिश्चित करें कि आपके पासवर्ड आसानी से अनुमान लगाने योग्य नहीं हैं।
4. अज्ञात प्रेषकों के ईमेल अटैचमेंट न खोलें: ये मैलवेयर से संक्रमित हो सकते हैं।
5. अज्ञात प्रेषकों या अपरिचित वेबसाइटों के ईमेल में लिंक पर क्लिक न करें: यह एक सामान्य तरीका है जिससे मैलवेयर फैलता है।
6. सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करने से बचें: असुरक्षित नेटवर्क आपको बीच-बीच में होने वाले हमलों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

कोरोना महामारी से मेरी जंग

मैं इंद्रा सेठ पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त), दिल्ली एचएसएमआई कार्यालय से सेवानिवृत्त हुई। हडको परिवार के साथ मेरी लंबी और सफलपूर्वक यात्रा के लिए मैं आभारी हूं। मैं फरवरी 1971 में अपने शुरुआती 20 के दशक में इस संगठन में शामिल हो गयी थी और संगठन के पहले कुछ कर्मचारियों में से एक थी और शायद पहली महिला कर्मचारी भी।

मैं आभारी हूं कि मुझे इस समर्पित, आगे की सोच और अत्यधिक सम्मानित संगठन में शामिल होने और बढ़ने का अवसर दिया गया था। जब मैं केवल 24 वर्ष की थी। मेरी क्षमताओं और कार्य नैतिकता को शुरू से ही देखा और सराहा गया, कुछ ऐसा जिसे मैं कभी नहीं भूली या सराहना करना बंद कर दिया।

हडको के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, मैंने देखा कि संगठन दिल्ली में एक इकाई से बढ़ रहा है, अब पूरे देश में फैले सैकड़ों कर्मचारियों के साथ पूरे भारत में दबदबा है।

और मैं खुद को काफी भाग्यशाली मानती हूं कि मैं इस प्रतिष्ठित संगठन के साथ एक सक्रिय कर्मचारी के रूप में तीन दशकों से अधिक समय तक जुड़ी रही, यानी मेरी सेवानिवृत्ति तक, जो मार्च, 2004 में शुरू हुआ था और हडको में यहां काम करने के लिए अपना ईमानदारी से आभार व्यक्त करना चाहती हूं।

हडको के साथ अपने जुड़ाव के लगभग पिछले 50 वर्षों के दौरान मैं अपने जीवन में सभी संभावित उतार-चढ़ावों से गुजरी, लेकिन हडको परिवार हमेशा एक मजबूत भागीदार के रूप में मेरे साथ खड़ा रहा।

मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति में भी हडको हम जैसे अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सहायता और देखभाल करने में सबसे आगे चलने वालों में से एक है। मैं भी इस साल अप्रैल में दूसरी लहर के दौरान इस भयानक संक्रमण (COVID-19) से गुज़री, और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। हालांकि हडको ने इस कठिन समय में भावनात्मक और आर्थिक रूप से मेरा साथ दिया।

घटनाओं की ये पूरी श्रृंखला मुझे और मेरे पूरे परिवार को हडको के प्रति बहुत गर्व और सम्मान से भर देती है और यह तथ्य कि सेवानिवृत्ति के लगभग दो दशकों बाद भी संगठन हमें इतना मजबूत समर्थन प्रदान करता है जो एक कर्मचारी-नियोक्ता संबंध से परे है और एक परिवार से भी अधिक है।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह महान कंपनी आगे बढ़ती रहेगी और समृद्ध होती रहेगी और मुझे विश्वास है कि हडको परिवार का प्रत्येक सदस्य यहां खुश और संतुष्ट रहेगा। इस अद्भुत संगठन को आगे बढ़ने के लिए सभी सफलता और प्रशंसा की कामना करती हूं।

धन्यवाद और सादर,

इंद्रा सेठ
पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

सेवाकाल का सुखद अनुभव

गणेश शेट्टी
पूर्व सहा. महा प्रबंधक (सचिवीय)
सेवानिवृत्त दिनांक 31/12/2020

मुलजी पडाया
पूर्व सहा प्रबंधक (प्रशा.)
सेवानिवृत्त दिनांक 31/03/2020

हम,मुलजी पडाया, पूर्व सहा प्रबंधक (प्रशा.) एवं गणेश शेट्टी, पूर्व सहा. महा प्रबंधक (सचिवीय) पिछले वर्ष ही हडको की अपनी-अपनी सेवाओं से सेवा-निवृत्त हुए । हम अपने आप को निश्चय रूप से बहुत ही बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हमें देश स्तर पर प्रसिद्ध हडको जैसे संस्थान के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में सर्विस करने का मौका मिला। हम दोनो ने हडको,मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय1990 के दशक में अलग-अलग पदों पर ज्वाइन किया,जो कि इस क्षेत्रीय कार्यालय का शुरूवाती दौर था। फलस्वरूप,उस समय हडकोमुंबई क्षेत्रीय कार्यालय का आकार काफी छोटा था। जो कि धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते आज एक विशाल वृक्ष के रूप में हो गया है। हडको, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने हडको की प्रगति में सदैव ही अहम भूमिका निभाई है।

शुरवाती दौर में कार्यालय में टंकलेखन का कार्य टाइपराइटर पर एवं संचार का कार्य टेलेक्स मशीन पर करना पड़ता था। जैसे मानो दिन की शुरवात टाइपराइटर, टेलेक्स मशीन की खड़खड़ से ही शुरू होती थी। उसके पश्चात जब कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ तब शुरुवात के समय कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर उसपर काम करना बहुत ही कठिन प्रतीत होता था। पर जब साथ में काम करने वाले सहयोगियों की मदद द्वारा सीख लेने पर कंप्यूटर पर कार्य करना आसान और सुलभ लगने लगा।

हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में कार्य करते समय मेरी बौद्धिक, शाररिक और आर्थिक उन्नती हुयी। हडको में विविध सुविधाओं एवं कार्यक्रमों जैसे राजभाषा पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छता दिवस, हडको स्थापना दिवस, वार्षिक खेल दिवसआदि में सबके साथ सहभागिता से बहुत ही आनंद प्राप्त होता था। वर्ष में एक बार पिकनिक मनाई जाती थी जिसके कई अनुभव सेवानिवृति के बाद भी यादोंमेंहमेशा बसे रहेंगे। यहाँ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिपवाली, मकर संक्रांत, ओणमकात्योहार मनाया जाता था जिसके द्वारा अनेकता में एकता का आभास हमेशा महसूस होता था। हडको में उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं, स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण कार्य के वातावरण की वजहसे हम दोनो लोग 30 साल की लम्बी सर्विसपूर्ण करते हुए सम्पूर्ण आरोग्य सहित निवृत्त हुए । हम सदैव हडको के ऋणी रहेंगे एवं इसकी उन्नति एवं प्रगति के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ अन्त में "हडको तुझे सलाम"।

दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

डॉ. तृप्ति एम. दीक्षित
उप महा प्रबंधक (विधि)

प्रश्न 1: दिवाला और अक्षमता कोड, 2016 बहुत बड़ा वैधानिक सुधार क्यों लगता है ?

उत्तर: पहला, कोड दिवाला समाधान प्रक्रिया (इंसॉल्वेन्सी जिोल्यूशन प्लान) के लिए एकल मंच प्रदान करता है। इससे पहले विभिन्न अलग-अलग कानून थे।

दूसरा, यह समयबद्ध है : यह दिवाला समाधान योजना के सूत्रीकरण और अनुमोदन के लिए 180 दिन की समय सीमा निर्धारित करता है, जिसमें सिर्फ एक बार 90 दिन का विस्तार होता है।

तीसरा,यह समाधान योजना के अंतिम रूप लेने तक कंपनी के मामलों का नियंत्रण बोर्ड/प्रोत्साहकों के हाथों से समाधान पेशेवरों (रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स) को स्थानांतरित कर देता है।

अंतिम, कोड ऋण के समाधान के लिए प्रदान करता है जबकि कंपनी कार्य संचालन जारी जारी रखती है।

प्रश्न 2: कोड के अंतर्गत लाभार्थी कौन है ?

उत्तर: कोड के अंतर्गत लाभार्थियों में शामिल है:

देनदार (कॉर्पोरेट/व्यक्ति और अन्य कर्जदार)- एक देनदार समयबद्ध समाधान व्यवस्था के जरिए अपने ऋण संकट से निकल सकता है।

ऋणदाता –अपने ऋण या बकाया राशिके वापसमिलने की उम्मीद कर सकता है।

छोटी कंपनियां/स्टार्ट अप्स/गैर-सूचबद्ध कंपनियां- अपने कारोबार को फास्ट–ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया के जरिए पुनर्जीवित कर सकते हैं।

प्रश्न 3: कोड के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?

उत्तर: जहां कोड के तहत एक कंपनी या एलएलपी के खिलाफ आवेदन किया जाता है, उस प्रक्रिया को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) कहते हैं जिऐ इनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है :

- वित्तीय ऋणदाता जैसे बैंक, वित्तीय संस्थएं/ऋण पत्र/जमा धारक या व्यक्ति
- परिचालन ऋणदाता जैसे वस्तु अपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता या अन्य कामगार, या कर्मचारी आदि।
- कॉर्पोरेट देनदार जैसे कि कंपनी या एलएलपी स्वयं बशर्ते कि कंपनी/एलएलपी को 1,00,000 (एक लाख रूपए) या अधिक की राशि का भुगतान करने से चूकना होगा।

प्रश्न 4: अगर कोई आवेदन कोड के तहत एक कंपनी के खिलाफ दाखिल किया जाता है तो क्या इसका ये अर्थ है कि कंपनी दिवालिया है ?

उत्तर : नहीं, इसका ये अर्थनहीं हैकि कंपनी दिवालिया हो गई है। यह संकेत देता है कि कंपनी को कारोबार और/या वित्तीय पुनर्संरचना की जरूरत है।

प्रश्न 5: सीआईआरपी के प्रारंभ के लिए एक व्यक्ति को किस फोरम के समक्ष आवेदन करना चाहि ?

उत्तर: सीआईआरपी प्रारंभ करने के लिए उचित फोरम राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) है।

प्रश्न 6: क्या एनसीएलटी एक कोर्ट है ?

उत्तर : हां, एनसीएलटी के पास एक कोर्ट की शक्ति है।

प्रश्न 7: सीआईआरपी का संचालन कौन करता है और यह कैसे काम करता है ?

उत्तर : सीआईआरपी दिवाला वयवसायिक (आईपी) के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे इस उद्देश्य के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) के तौर पर नियुक्त किया जाता है। एक बार जब दिवाला समाधान के लिए किसी कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी के पास अपील की जाती है, तो एनसीएलटी आरपी नियुक्त करता है। इसके साथ-साथ एनसीएलटी मुकदमों की संस्था या लंबित मुकदमों की संस्था या कॉर्पोरेट कर्जदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को बनाए रखता है और कॉर्पोरेट कर्जदार को संपत्ति या वैधानिक अधिकार के स्थानांतरण या बिक्री से रोकता है। कंपनी के खिलाफ दिवाला समाधान के लिए आवेदन मिलने के तुरंत बाद कंपनी के निदेशक मंडल को निलंबित कद दिया जाता है और कंपनी मामलों का नियंत्रण आरपी के हाथों में सौंप दिया जाता है। इसके बाद आरपी दावों के विज्ञापन के लिए समाचार पत्रों और भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) की वेबसाईट के ऊपर सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित कराता है और इसके बाद यह ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) का कठन करता है, जिसमें कंपनी के वित्तीय ऋणदाताओं के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाया जाता है। सीओसी कंपनी की पुनर्संरचना और पुनरूद्धार के लिए एक समाधान योजना बनाती है, जिसमें ऋण पुनर्संरचना भी शामिल होती है, जिसके लिए सीओसी की अनुमति की जरूरत होती है। यदि सीओसी समाधं्ान योजना को स्वीकृति दे देती है, तो इसे एनसीएलटी की स्वीकृति के लिए इसके समाने पेश किया जाता है।

प्रश्न 8: क्या हर ऋणदाता के लिए जरूरी है कि वो अपना दावा प्रस्तुत करे ? यदि हां, तो कितने समय के अंदर ?

उत्तर : एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति पर एनसीएलटी, आईआरपी को सार्वजनिक घोषणा करना आवश्यक होता है। एक ऋणदाता को सार्वजनिक घोषणा में दिए गए समय के अंदर प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी होता है। एक ऋणदाता, जो सार्वजनिक घोषणा में निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल होता है, उस प्रमाण को ऋणदाताओं की समिति द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन तक प्रस्तुत कर सकता है।

प्रश्न 9: अगर एनसीएलटी को सीओसी से कोई समाधान नहीं मिलती या अगर सीओसी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत नहीं होती, तो क्या होता है ?

उत्तर : उपरोक्त दोनों स्थितियों में, एनसीएलटी कंपनी के विघटन के लिए आदेश पारित करती है।

हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय की

भ्रमण यात्रा

हडको मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय की
खेल दिवस

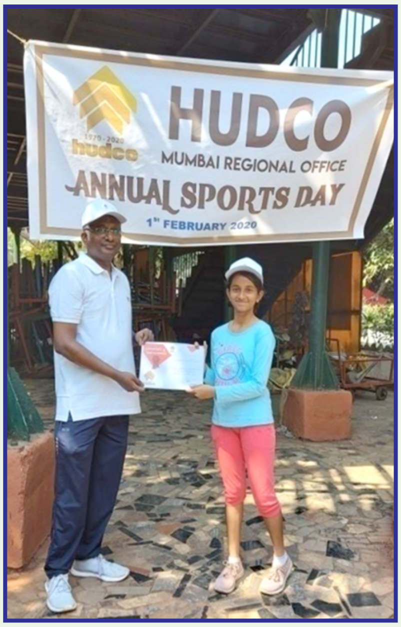

प्राकृतिक आपदा

प्राकृतिक आपदा, पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न एक बड़ी घटना है | प्रकृति के मूलगुणों में बाधाउत्पन्न करने की वजह से प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, भारी बारिश, बादल फटना, बिजली, भूस्खलन जैसी घटनाओं केरूपोंमें आती है |

यह जीवन और संपत्ति के लिए एक बड़े नुकसान का कारण बनती है | ऐसी आपदाओं केदौरान अपना जीवन खो देने वालों की संख्या से कहीं अधिक संख्या ऐसे लोगों की होती है जो बेघर और अनाथ होने के बाद जीवन का सामना करते हैं | प्राकृतिक आपदा मानवीय जीवन एवंम संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंचातीहै | यहां तक कि शांति और अर्थव्यवस्था भी प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है | आज पृथ्वी में अनेक तरह की प्राकृतिक आपदाओं से हर साल जान-माल का बहुत भारी नुकसान होता है

यह आपदाएं अचानक आकर कुछ पलों में सब कुछ तबाह कर देती हैं| मनुष्य जब तक कुछ समझ पाता है तब तक यह आपदा उसका सब कुछ तबाह कर चुकी होती हैं | इन आपदाओं से बचने के लिए न ही कोई कारगर उपाय है और न ही कोई कारगर यंत्र है, यह सत्य है कि हम इसे रोक नहीं सकते लेकिन कुछ तैयारी करके हम अपने जीवन और संपत्ति की नुकसान की भयावहता को कुछ कम कर सकते हैं |

भारत में सबसे बड़ा भूकंप 1737 में कोलकाता में आया था जिसमें तीन लाख लोग हताहत हुए थे | अभी महाराष्ट्र चिपलून में जुलाई 2021 बाढ आयी थी जिसमे पर्यावरण काभारी नुकसान हुआ और मानव हानि भी बहुत हुई |

ग्लोबल वार्मिंग जो सभी समस्याओं की जड़ है सबसे पहले हमें उसको कम करना चाहिए |ऐसी किसी भी आपदा के पश्चात सबकापर्याप्त सहयोग हमारे जीवन के पुनर्निर्माण में मुख्य भूमिका निभा सकता है |

गिता वाडेकर
पत्नी - राजेश वाडेकर
ए.एफ. (एस.जी.)

पेड़ पौधे और जीवन

शिव सिंह
प्रबंधक (राजभाषा)

प्रस्तावना : सौरमंडल के ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी समस्त जीवों को रहने का आधार प्रदान करती है। पृथ्वी को बचाये रखने के लिए पेड़-पौधों का होना अत्यंत आवश्यक है। हम पेड़-पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते है। पेड़-पौधों से हमें अनगिनत और बहुमूल्य चीज़ें प्राप्त होती है। हमारी कई ज़रूरतों को पेड़-पौधे पूरा करते है। सर्वप्रथम हमे जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना हमारा और अन्य जीव-जंतुओं का जीवित रहना असंभव है। पेड़-पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते है। वातावरण में ऑक्सीजन सिर्फ पेड़-पौधों की वजह से मौजूद है।

पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की किरणों का उपयोग करके ऑक्सीजन तैयार करते हैं। वातावरण में मौजूद प्रदूषित गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़-पौधे सोख लेते हैं। इसी आधार पर पर्यावरण और प्रकृति का चक्र चलता है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी का उपयोग करके पेड़-पौधे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और अपने लिए खाना भी खुद तैयार कर लेते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। पेड़-पौधे वातावरण में आद्रता पैदा करते हैं। पेड़-पौधों की वजह से पृथ्वी पर वर्षा होती है। पेड़-पौधों को बचाये रखना हमारा परम् कर्त्तव्य है। पेड़-पौधे भूमि कटाव को रोकने में भी सहायता करते हैं। पेड़-पौधे बाढ़ जैसे हालात को रोकने में मदद करते हैं। पेड़ हमे छाया, फल और लकड़ी प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमे औषधि प्राप्त होती हैं। वन सम्पदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वनों का संरक्षण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेड़ों पर चिड़ियां अपना घोसला बनाती हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो पशु-पक्षी की जिन्दगी कठिन हो जायेगी। पक्षियों को रहने के लिए उनका घर नहीं मिलेगा। पुराने समय में आदिमानव पेड़ से तोड़कर फल और पत्तियां खाता था। अपना तन ढकने के लिए वह पेड़ों की पत्तियों का इस्तेमाल करता था। वह अपने शरीर को गर्मी और सर्दी से बचाता था। मनुष्य पेड़ों के महत्व को आदिकाल से जानने के बावजूद, अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण निरंतर पेड़ों को काटकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है।

पेड़ों से हमे अनगिनत वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उन्हीं पेड़ों को लगातार काटने की वजह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। आये दिन सूखा, बाढ़, तूफ़ान और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाएं दस्तक दे रही हैं। वक़्त आ गया है कि हम पेड़-पौधों के संरक्षण की ओर ध्यान दें। जितने वृक्ष काटे जा रहे हैं, उससे अधिक वृक्ष लगाएं। मनुष्य ने जैसे जैसे उन्नति की, उसकी ज़रूरतें बढ़ गयीं। लकड़ियों का इस्तेमाल फर्नीचर इत्यादि बनाने में इस्तेमाल होने लगा। जंगलों को काटकर उँची-उंची इमारतें मनुष्यों ने बनाई हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, हर चीज़ की मांग बढ़ी। मनुष्यों ने पेड़ों को काटकर घर, दफ्तर, कल-कारखाने, सड़क, रेल-लाईन इत्यादि बनाये। लेकिन यह भूल गए कि जहां उन्होंने एक पेड़ काटे, उन्हें कई पेड़ लगाने चाहिए थे। साल में एक बार वन महोत्सव मनाया जाता है जहां सरकार की तरफ से लाखों पेड़ लगाए जाते हैं और जन-समुदाय को भी पेड़ वितरित करके वृक्षारोपण करने के लिए

प्रोत्साहित किया जाता है। वृक्षारोपण का अर्थ है, वृक्ष लगाकर उन्हें उगाना और सही प्रयोजन करना, न कि एक दिन वृक्ष लगाकर अपनी इतिश्री कर लेना। पेड़ों की ठीक से निरंतर देखभाल नहीं हो पाने के कारण अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसी वजह से प्रदूषण दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।

प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना, मानव के जीवन को सुखी, समृद्ध व संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण का अपना विशेष महत्व है। पेड़ वातावरण को शुद्ध व स्वच्छ बनाते हैं। वर्षा जिससे हमें जल व **पेय जल प्राप्त होता है, वह भी प्राय:** वृक्षों के अधिक होने पर ही निर्भर करती है। पेड़-पौधे विषैली गैसों को वायुमंडल में फैलने से रोक कर पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकते हैं। इसके विपरीत यदि हम वृक्ष-शून्य स्थिति की कल्पना करें तो उस स्थिति में मानव तो क्या समुची जीव सृष्टि की दशा ही बिगड़ जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए वृक्षारोपण करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी यह धरती प्रदूषण रहित रहे तथा इस पर निवास करने वाला मानव सुखी व स्वस्थ बना रहे तो हमें पेड़-पौधों की रक्षा तथा उनके नवरोपण की ओर निरंतर ध्यान देना चाहिए।

कुछ महानुभावों द्वारा प्रकृति के लिए कहे गए कथन : स्वायंभुव मनु द्वारा कहा गया कथन: कि ,जब पाप अधिक बढ़ता है तो धरती कांपने लगती है .यह भी कहा गया है कि धरती घर का आंगन है आसमान छत है सूर्य-चंद्र ज्योति देने वाले दीपक हैं, महासागर पानी के मटके हैं और पेड़-पौधे आहार के साधन। हमारा प्रकृति के साथ किया गया यह वादा है कि वह जंगल को नहीं उजाड़ेगा, प्रकृति से आनावश्यक खिलवाड़ नहीं करेगा ऐसी फसलें नहीं उगायेगा जो तलातल का पानी सोख लेती है। बात-बे-बात पहाड़ों की कटाई नहीं करेगा।

गुरूदेव रवींद्रनाथ द्वारा कहा गया कथन : स्मरण रखिए, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव और पक्षपात नहीं करती इसके द्वार सबके लिए समान रूप से खुले हैं। लेकिन जब हम प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ करते हैं तब उसका गुस्सा भूकंप, सूखा ,बाढ़ सैलाब, तूफान की शक्ल में हमारे सामने आता है फिर लोग काल के गाल में समा जाते हैं।

महाकवि कालिदास द्वारा कहा गया कथन : शकुंतला बन में पली-बढ़ी जब विदा होकर ससुराल जाती है तो ऋषि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए देवी देवताओं से भरे वन वृक्षों को कहते हैं कि शकुंतला तुम्हें पिलाये बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, जो आभूषण प्रिय होने पर भी स्नेह के कारण तुम्हारे कोमल पत्तों को नहीं तोड़ती थी ,जो तुम्हारे पुष्पित होने के समय उत्सव मनाती थी,वह शकुंतला अपने पति के घर जा रही है तुम सब मिलकर इसे विदा करो।

पद्म पुराण का कथन : जो मनुष्य सड़क के किनारे तथा जलाशयों के तट पर, वृक्ष लगाता है वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फलता-फूलता है जितने वर्षों तक वह वृक्ष फलता-फूलता है।

निष्कर्ष : प्रारंभ में जब तकनीक का विकास नहीं हुआ था, तब लोग प्रकृति व पर्यावरण से सामंजस्य बिठकर जीवनयापन करते थे, परंतु तकनीकी विकास एवं औद्योगीकरण के कारण आधुनिक मनुष्य में आगे बढ़ने की होड़ उत्पन्न हो गई। इस होड़ में मनुष्य को केवल अपना स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है। परंतु पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का कर्त्तव्य है। हम सबको मिलकर पेड़-पौधे लगाने चाहिए। पेड़ों के कटाई के विरुद्ध जागरूकता फैलानी चाहिए। हमें पेड़ लगाने होंगे और प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करने का निरंतर प्रयास करना होगा। मानवजीवन को अब यह समझना होगा कि वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं। वृक्षों के बिना सुखमय और स्वस्थ जीवन संभव नहीं है।

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय

जागरूकता सतर्कता सप्ताह चित्रकलाप्रतियोगिता

दिनांक **02.11.2020 - वैश्विक महामारी में सतर्क भारत**

कुमार नितिन पड़ाया

कुमार अथर्व सावंत

कुमार विनय जाधव

कुमार रुपेश दिलीप भोसले

कुमारी प्रियंका नितिन नीलवर्ण

कुमार सोहम राजेश वाडेकर

श्रीमती शिल्पा भालचंद्र पालकर

कु वेदांत गिरीश उपलकर

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा "लोनावाला" भ्रमण यात्रा का आयोजन

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा खेल दिवस आयोजन